न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 42/2021
GCMS NO. : 2021/100

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. हनुमानराम पुत्र गोकलराम जाति–प्रजापत, निवासी–पाटवा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज0।		1. गोकलराम पुत्र गणेशराम 2. किशोर पुत्र गोकलराम 3. रमेश पुत्र गोकलराम जाति–प्रजापत, निवासी–पाटवा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0। 4. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 02/09/2021

उपस्थितः. 1. श्री चुतराराम राम भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 26/10/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा पाटवा में पटवार हल्का पाटवा तहसील जैतारण में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की संयुक्त हिन्दु परिवार की कब्जा काश्त खातेदारी शामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 563 रकबा 1.1088 हैक्टर किश्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर–568 रकबा 0.6718 हैक्टर किश्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर–571 रकबा 0.2752 हैक्टर किश्म बारानी दोयम खसरा नम्बर–717 रकबा 0.5180 हैक्टर किश्म बारानी अव्वल कुल रकबा 2.5738 हैक्टर की आई हुई है। उपरोक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि खातेदार गणेशराम के नाम की दर्ज रही। गणेशराम का देहान्त मृत्यु के पश्चात जरिए विरासत के उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या एक गोकलराम के नाम दर्ज की गई। वंशावली अनुसार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वक्त सेटलमेन्ट से गोकलराम के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार हक हिस्सा राजस्व रेकर्ड में वर्णित अनुसार चला आ रहा जो स्वर्गीय गणेशराम के स्वर्गवास के बाद अप्रार्थी संख्या एक को हिन्दू उतराधिकारी के रूप में प्राप्त हुई हैं। जिसकी जमाबन्दी की नकले दावा के साथ पेश हैं। अप्रार्थी संख्या– एक गोकलराम अविभक्त हिन्दू परिवार का मुखिया है। वादी जाति से प्रजापत है जन्म से हिन्दू है प्रार्थी अप्रार्थी संख्या– एक का पुत्र है, जो साझा हिन्दू परिवार के सदस्य है साझा हिन्दू परिवार के कर्ता गोकलराम पुत्र गणेशरा[illegible]र्थी संख्या– एक है यह साझा हिन्दू परिवार हिन्दू विधि से प्रशासि[illegible] ही जो सम्पति उनके स्वतः आधिपत्य में रही है व हिन्दू [illegible] विधि अ[illegible] रही है जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

जन्म से ही यानि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या दो व तीन को बाई बर्थ (जन्म से) स्वामित्व अधिकार उत्पन्न हो गया हैं। यानि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो गये है। एवं प्रार्थी का हिस्सा अधिकार निहित हैं। इसलिए प्रार्थी को अपने हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। अप्रार्थी संख्या – एक परिवार के मुखिया होने से अपनी स्थिती का दुरूपयोग करते हुए उक्त भूमि विरासत से प्राप्त होने से संयुक्त हिन्दु परिवार के सभी सदस्यों का बराबर–बराबर हक, अधिकार निहित है तथा प्रार्थी को मौके से बेदखल करने पर उतारू है यदि अप्रार्थी संख्या एक गोकलराम अपने इन नापाक इरादों में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी क्योंकि प्रार्थी के पास उपरोक्त वर्णित भूमि के अलावा अन्य कोई काश्त हेतु कृषि भूमि नहीं है उपरोक्त वर्णित एक मात्र आराजी जिस पर प्रार्थी अपना भरण पोषण लालन पालन का जरिया है व प्रार्थी को असीम क्षति होगी जिसकी क्षर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है तथा वादीगण अपने जायज व साम्पैतिक अधिकारों से हमेशा के लिये महरूम हो जायेगे इसलिये प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश हैं। वाद पत्र के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक के संयुक्त हिन्दु परिवार की पुश्तैनी संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी की मौके पर कब्जा काश्त में निरन्तर व सह–काश्तकार के रूप में चला आ रहा है उक्त भूमि संयुक्त सम्पति होने से जब तक उसका कानूनी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक अप्रार्थी संख्या एक को किसी अन्य के पक्ष में बैचान करने का कोई अधिकार नहीं है कृषि भूमि के कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा अड़चन अवरोध पहुचाने का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा करने का निर्माण करने का आगे बैचान हस्तान्तरण करने रहन रखने का अप्रार्थी संख्या एक को कोई अधिकार नहीं हैं। वाद पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थी का हिस्सा निहित है उसके अभाव में अप्रार्थी संख्या एक को उक्त आराजी का बैचान करने, गिरवी रखने, हस्तान्तरण करने पर आमादा है अप्रार्थी संख्या एक अपने उपरोक्त गलत मन्सूबों में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी वादीगण के विधिक अधिकारों पर भारी कुठारातघात होगा ऐसी परिस्थिति में रेकर्ड एवं मौके की स्थिति अनुसार व विधिक प्रावधानों व भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक पुश्तेनी होने के आधार पर प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी संख्या– दो को विधि विरूद्व कृत्य करने व जबरन कब्जा करने व कराने से रोके जाने में ही है जिससे प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद पत्र श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पैतृक पुश्तेनी होने एवं प्रार्थी अप्रार्थी संख्या एक के विधिक उतराधिकारी होने से प्रथम दृष्टिया केस प्रार्थी के पक्ष में बहूत ही मजबूत है यदि अप्रार्थी संख्या एक को उक्त आराजी का बैचान करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते हुए भी [illegible] रूप से केवल मात्र प्रार्थी के हक अधिकारों से वंचित करने [illegible] संख्या एक द्वारा उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या दो व तीन को [illegible] को बैचान, बख्शीश, रहन,

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

वसीयत आदि कर देगे तो प्रार्थी अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगे एवं प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध विविध प्रकार के मुकदमें बाजी करनी पड़ेगी जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति अप्रार्थीगण किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकेगे एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को उक्त आराजी का किसी अन्य व्यक्ति के नाम बैचान, रहन, वसीयत बख्शीश आदि करने से एवं अप्रार्थी संख्या – चार को ऐसा दस्तावेज का पंजियन करने से एवं राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना अति आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी माफिक अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करे या करावे एवं काश्त मुतालिक कार्य करे या करावे तो उसमें अप्रार्थीगण स्वंय उनके नौकर, हाली, एजेन्ट रिश्तेदार परिवार के सदस्य किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप व दखलन्दाजी नहीं करे तथा साथ ही इस आराजी को किसी अन्य को रहन, बैचान वसीयत के अन्य हस्तान्तरण भी नहीं करे ऐसा दस्तावेज का पंजियन अप्रार्थी संख्या चार नहीं करें एवं वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाई जावे जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा रोका जावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान संख्या 1 से 4 बाद सम्मन सूचना के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बहस वकील वादी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है:–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के पैतृक पुश्तैनी होने के आधार पर वाद बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,53 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा जमाबन्दी संवत् 2074–2077 ग्राम पाटवा का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के पैतृक पुश्तैनी होने का कथन किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि यह साबित होता हो कि किस प्रकार प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में प्रथम दृष्टया हक अधिकार निहित है। अतः मूल वाद के अनुतोष के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विन्नम अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा पत्रावली [illegible] ल पर्चा लगान व वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074–77 ही प्रस्तुत किये है जिससे प्रार्थी के उक्त कथन पुष्ट नहीं होते है। साथ ही प्रार्थी द्वारा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो पत्रावली पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:08 IST
Reason: SelfAttested
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण

उपलब्ध है और ना ही प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुआ है। सामान्यतः कृषि भूमि के खातेदार के पक्ष में सुविधा का संतुलन निहित होना माना जाता है। जमाबन्दी संवत् 2074–77 ग्राम पाटवा के अनुसार प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी के खातेदार है। प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी में सह–काश्तकार होने के कथन मात्र किये है परन्तु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थी यह साबित करने में विफल रहे है कि किस प्रकार उसके पक्ष में सुविधा का संतुलन निहित है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।
3. **अपूरणीय क्षतिः–** प्रथम दोनों बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुए है। पत्रावली पर उपलब्ध भू–अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 (प्रार्थी का पिता) वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज है। यदि खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उसे अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग–उपभोग से महरूम होना पड़ेगा जिसस अपूरणीय क्षति निश्चित ही अप्रार्थी को होगी। साथ ही प्रार्थी यह साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है कि यदि उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उसे किस प्रकार अपूरणीय क्षति होगी। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भली–भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार किया जाना विधि–संगत एवं उचित रहेगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में भली–भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज.

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

निर्णय आज दिनॉक 26/10/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण